न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–125/2023 (GCMS No. 2023/133) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. जयपाल पुत्र रघुवीरसिंह
2. अमरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह
3. वृजेन्द्र पुत्र रघुवीरसिंह
4. बच्चू पुत्र रघुवीरसिंह
5. मानसिंह पुत्र रघुवीरसिंह
6. पुष्पा पुत्री रघुवीरसिंह
7. राजो पुत्री रघुवीरसिंह
8. हेमवती पुत्री रघुवीरसिंह
9. परभाती पुत्र गोपी
10. सुक्की पुत्र गोपी
11. टीकम पुत्र गोपी
12. रनवीर पुत्र रामखिलाडी

} जाति जाट निवासी नगला खान तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

..........अपीलान्ट्स

बनाम

1. गोपाल लवानिया पुत्र राधाचरन जाति ब्राहम्ण निवासी नगला दांदू मौजा ब्रहम्पुरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज.)

...............असल रेस्पोडेन्ट

2. गोविन्द पुत्र राधाचरन
3. गोपाल पुत्र राधाचरन
4. श्रीमती चीना पत्नि नरेश
5. नीतू
6. गुडिया
7. रवीना
8. दिव्या

} नावालिग पुत्रीयां नरेश व विलायत माता चीना

9. मोनू पुत्र नरेश
10. देवीराम पुत्र राधाचरन
11. राजेन्द्र पुत्र राधाचरन
12. शकुन्तला पुत्री राधाचरन
13. शिव्वा पुत्री राधाचरन

} जाति ब्राहम्ण निवासी नगला दांदू मौजा ब्रहम्पुरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर।

.........तरतीवी रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 13.07.2018 उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर अपील संख्या 22/2015 उनवानी गोपाल बनाम जयपाल।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट्स की ओर से श्री विजयसिंह कुन्तल, वकील
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील

<u>नि र्ण य</u> <u>दिनांक : 02.05.2024</u>

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के आदेश दिनांक 13.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नक्श दुरूस्ती की है जो कि उक्त धारा के तहत नहीं की जा सकती है। गंगाधर की मृत्यु अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हो चुकी थी जिसकी मृत्यु के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मैरिट पर बहस नहीं सुनी जाकर मात्र एतराज तथ्यात्मक रिपोर्ट पर सुनी जाकर आदेश पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील हाजिर अदालत आये।
3. श्री गापीनाथ पुत्र जीवन, श्यामबाबू, सोहनलाल पिस. भीमसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी दॉदू तहसील कुम्हेर द्वारा जरिये वकील श्री दिनेश शर्मा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पेश किया। जिसकी नकल अपीलांट को दिलाई गई। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया। विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पर सुना गया। विद्वान वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बन्दोवस्त विभाग ने गलत रूप से नक्शा अक्स में दर्शाया गया है जिसे शुद्व किया जाकर खसरा नम्बर 1086 की आकृति गत खसरा नम्बर 1152 के मुताविक नक्शा अक्स में दर्शाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार कुम्हेर से हाल व गत नक्शा अनुसार रिपोर्ट तलव की जिसमें हाल आकृति ख.नं. 1086 को गलत मानकर दुरूस्त करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। खसरा नम्बर 1086 से चिपटवॉ प्रार्थीगण का ख.नं. 1087 है। बन्दोवस्त द्वारा 1086 की जो आकृति दर्शाई है उसमें प्रार्थीगण का ख.नं. 1087 के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

वजानिव उत्तरी हिस्सा को ख.नं. 1086 में दर्शाया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार 1086 की आकृति नक्शा अनुसार दुरूस्त की जा चुकी है तथा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के रकवा ख.नं. 1087 पर पूर्वानुसार काबिज काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही पक्षकार बनाया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपीलांटस के विरूद्व ख.नं. 1087/0.23 ग्राम खान बावत् धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में दावा विचाराधीन है। अतः प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 के संबंध में जबाब प्रस्तुत किया तथा दौराने बहस कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1086 से रेस्पोडेन्ट का कोई संबंध नहीं है तो उस ख.नं. बावत् कोई मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। मौका रिपोर्ट मौके पर नहीं बनाई गई। जब सायल की खातेदारी के नम्बर की सूरत में कोई बदलाव नहीं किया गया तो उन्हें सुनने का कोई औचित्य नहीं है और न ही उसके अधिकार प्रभावित होते हैं। सायलान का कोई भी दावा चल रहा हो तो उस दावे में उनके अधिकार तय हो जायेंगे। अपील में उन्हीं व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाता है जो तहत अदालत में पक्षकार थे। सायलान तहत अदालत में पक्षकार नहीं थे। यदि सायलान किसी प्रकार से तहत अदालत के आदेश से प्रभावित है तो अपनी अलग से अनुमति लेकर अपील पेश कर सकते है। अतः इस अपील में उनको पक्षकार नहीं बनाया जावे और प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। विवाद आराजी खसरा नम्बर 1086 का है। सायलान द्वारा अपीलांटस के विरूद्व खसरा नम्बर 1087/0.23 ग्राम खान बावत् अधीनस्थ न्यायालय में दावा धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत विचाराधीन है। दोनों खसरा नम्बर पृथक–पृथक होने से अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण इस न्यायालय में प्रार्थी आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आदेश 1 नियम 10 खारिज किया जाता है।
5. विद्वान वकील द्वारा अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांटस द्वारा पेश पटवारी हल्का रिपोर्ट एतराज पर बहस सुनी थी मैरिट पर कोई बहस नहीं हुई तथा पत्रावली वास्ते आदेश अपने पास सुरक्षित रख लिया। प्रार्थीगण के बार–बार पूछने पर भी यह कह दिया कि अभी पत्रावली देख नहीं पाये है आदेश होगा तो आपको बता देंगे। एक महीने से अधिक का समय होने पर प्रार्थीगण के वकील से पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कह दिया कि एतराजों पर ही तो बहस हुई है। अग्रिम कार्यवाही के लिए जो भी तारीख होगी विद्वान वकील को बता दी जायेगी। उसके बाद प्रार्थी द्वारा बार बार पूछा गया तो उनके रीडर व बाबू

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

ने यह कह दिया कि अभी फाईल नहीं मिल रही फाईल मिलने पर आपको सूचित कर दिया जावेगा। अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांटस को उस समय हुई जब दिनांक 22.09.2020 को मौके पर गये तो रेस्पोडेन्ट ने धमकी दी कि हमने नक्शे को तुम्हारी बिना जानकारी के दुरूस्त करा लिया है। अब तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल कर देंगे। उसके बाद अपीलांटस द्वारा धमकी के बारे में अपने वकील को बताने पर वकील ने पत्रावली तलाश कराने पर दिनांक 23.09.2020 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांटस स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को कण्डोन (क्षमा) किया जावे जिसके लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न है।

6. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जिसका रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान वकील अपीलांट द्वारा कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेश की गई और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नक्शा दुरूस्ती की गई है जबकि नक्शा दुरूस्ती एलआरएक्ट की धारा 136 में न होकर नियमित वाद से हो सकती है। खसरा नम्बर 1087 के संबंध में धारा 188 आर.टी. एक्ट के तहत दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। गंगाधर की मृत्यु अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हो चुकी थी जिसकी मृत्यु के उपरान्त कायम मुकाम की कोई कार्यवाही नहीं की गई और मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की मैरिट पर बहस नहीं सुनी गई। बहस केवल एतराज तथ्यात्मक रिपोर्ट पर सुनी गई और अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 की खातेदारी का खसरा नम्बर 1079 कौन से साबिक खसरा नम्बर से बना है तथा उसके नक्शा की कौनसी दिशा की आकृति पुरानी आकृति से भिन्न है का कोई अंकन नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश स्पष्ट आदेश नहीं है जिसको किसी भी रूप में आदेश की परिभाषा में नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व सायल रेस्पोडेन्ट द्वारा कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि उनकी खातेदारी के खसरा नम्बर 1079 की कौनसी दिशा की मेढ मानचित्र में मौके विपरीत दर्शायी है और उसे किस दिशा में कितने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सेन्टीमीटर आगे पीछे करना है के संबंध में अंकन नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश में कहीं तो प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 1086 रकवा 14 ऐयर लिखा है और कहीं पर 4 ऐयर लिखा है जिससे अपीलाधीन आदेश त्रुटियों से ग्रसित है। अपीलाधीन आदेश में जिस तारीख को बहस सुनी गई और जिस तारीख को आदेश सुनाया वह तारीख खाली छोड कर आदेश टाईप कराने के बाद पैन से दिनांक 13.07.2018 को ही बहस सुनना एवं उसी दिन आदेश किया जाना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट में वर्णित ख.नं. 1087 के खातेदारों को सुना जाकर निर्णय करने बावत् लिखा था उस पर भी कोई गौर नहीं किया गया और न उनको नोटिस जारी किये गये। हाल खसरा नम्बर 1086 रकवा 4 ऐयर गत खसरा नम्बर 1152 रकवा 7 विस्वा से बना है जिसका रकवा गत रकवे के मुकाबले 2 ऐयर कम है जिसका आदेश में कहीं स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर का निर्णय दिनांक 13.07.2020 निरस्त फरमाया जावे।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि खसरा नम्बर 1079 ग्राम नगला खान का खातेदार है जो हाल ख.नं. 1086 से लगा हुआ है। 1086 की स्थिति गलत रूप से हाल नक्शा में दर्शा दिये जाने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पडता है। यदि अपीलांट की अपील स्वीकार कर ली जावे तो रेस्पोडेन्ट को कोई एतराज नहीं है।

9. उभयपक्ष की बहस बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को अनुपस्थित बताया गया है जबकि रेस्पोडेन्टस की तामील पूर्ण नहीं हुई। आदेशिका दिनांक 01.07.2018 में लिखा कि अप्रार्थीगण अनुपस्थित 1 लगा. 14 शेष अप्रार्थी प्रार्थीगण के साथी हैं। इसलिए पुनः तलव किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तथा तहसीलदार कुम्हेर की रिपोर्ट दिनांक 04.06.2015 में पडौसी खातेदारान को सुनकर निर्णय करने का उल्लेख किया गया है किन्तु उनको सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट की प्रारम्भिक आपत्ति एतराज का आपत्ति पर परीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारण नहीं किया। न्यायलय में नियमित वाद भी विचाराधीन है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा तथ्यों का परीक्षण कर उनका निर्धारण किये बिना ही निर्णय पारित करने की विधिक भूल की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

10. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.07.2018 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

2/5/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर